


32

13

विधि-3850/2018/देवास/भू.स.

राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र
प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)/2017-18

(1)	(2)	(3)
31-05-2018	<p>प्रकरण तहसीलदार देवास की ओर से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) देवास के माध्यम से प्राप्त। तहसीलदार देवास के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन में मुख्य रूप से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि आदेशिका दिनांक 23.03.2018 में अनुक्रमांक 2 ग्राम खटाम्बा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 97/1 व 97/2 टंकण त्रुटी से टंकित हुआ है, जबकि वास्तविक सर्वे क्रमांक 197/1 व 197/2 हैं।</p> <p>अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्य समाधानकारक एवं मान्य किये जाने योग्य होने से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत इस प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)/2017-18 में पारित आदेशिका दिनांक 23-03-2018 को पुनर्विलोकन में लिया जाकर आदेश में उल्लिखित अनुक्रमांक 2 ग्राम खटाम्बा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 97/1 व 97/2 के स्थान पर वास्तविक सर्वे क्रमांक 197/1 व 197/2 संशोधन किये जाने के लिए पुनर्विलोकन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण सादर प्रेषित हैं।</p> <p style="text-align: right;"> कलेक्टर, जिल्हा देवास (म.प्र.)</p> <p>प्रति, अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>No. 236/2018 31/5/18</p>

सचिव

25-6-18

विषय 3850/2018

24/7/18
30000

कार्यक्रम शासन की ओर से
की प्रतीक परीक्षा, प्रतीक
NE की मंदिर देवान कि अज्ञान की ओर
से ही सुकेश चतुर्वेदी, नरसिंहाजी अज्ञान की ओर
पुनरावलोकन की कठिनाई से
जाते के विद्युत् सुका गया
विचारों परीक्षा कर्मचारी, कोष
का कठिनाई ही हीम का अज्ञान
उन्हें, उनके प्रतीक परीक्षा और
परिणत कठिनाई दिनांक 23/3/18
के पुनरावलोकन की कठिनाई
प्रतीक की जाती है प्रतीक
दाखिल दिनांक ही

TEO
24/7/18
प्रतीक परीक्षा
प्रतीक परीक्षा
प्रतीक

f
(कठिनाई प्रतीक परीक्षा)
कठिनाई प्रतीक परीक्षा
प्रतीक परीक्षा
प्रतीक

3

प्रतीक परीक्षा